उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-57/2019/1317/बावन-1-2019-19(एम0एस0डी0पी0)/17
लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2019

आदेश-संशोधन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3170/बावन-1-2017-19(एम0एस0डी0पी0)/17 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में लिपिकीय त्रुटिवश **"केन्द्रांश रू0 27,79,000/- (रू0 सत्ताइस लाख उन्यासी हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 14,96,000/- (रू0 चौदह लाख छियानबे हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 42,76,000/- (रू0 बयालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)" एवं** इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-11 में धनराशि **"26.13"** एवं योग में **"42.76" अंकित हो गया है।** अतः उक्त के स्थान पर क्रमशः **"केन्द्रांश रू0 27,79,000/- (रू0 सत्ताइस लाख उन्यासी हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 14,96,000/- (रू0 चौदह लाख छियानबे हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 42,75,000/- (रू0 बयालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)"** एवं धनराशि **"26.12"** तथा **"42.75"** पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-3170/बावन-1-2017-19(एम0एस0डी0पी0) /17दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगे।

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-57/2019/1317(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में यथाआवश्यक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

UO Gautam

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in